SSC GK

PARMAR'S GK BATCH

TOPIC

Local Self Government

Lecture :- 13

For Notes Join Telegram :

Click on the icon.

OR
Scan

For Lectures Subscribe Our Parmar SSC Youtube Channel

Click on the icon.

OR
Scan

→ भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त - रमा देवी

→ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष - विजय सांपला
उपाध्यक्ष - अरुण हलदर

→ लोकसभा मे SC/ST के लिए आरक्षित सीटो का प्रावधान - अनु० 330

→ 1979 . मे 2nd पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष - B P मण्डल
इंदिरा साहनी मामला (मंडल मामला)

→ पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ (BAMCEF) - 1978

→ भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड (SEBI) एक स्वायत्त निकाय बना - ~~1988~~ 1992

"स्थानीय सरकार"

पंचायत & नगरपालिका

अनु० [243 - 243(O)] (243P - 243 ZG)

अनु० 40 : राजस्थान - नागौर - 2 अक्टूबर 1959

73 वां संविधान संशोधन.

पंचायती राज संस्थाओ का विकास:

प्रमुख समितियाँ:

1. बलवंत राय मेहता समिति: 1957
   3 स्तरीय
   - ग्राम पंचायत
   - पंचायत समिति
   - जिला पंचायत

2. अशोक मेहता समिति: 1977
   द्विस्तरीय

3. एल. एम. सिंघवी समिति: 1986 पंचायती राज का पुनरोद्धार

PARMAR SSC

4. थुंगन समिति

5. गाडगिल समिति

73 वां संविधान संशोधन 1992 '11 वीं अनुसूची'

↳ भाग-9 ↳ 29 विषय

लागू- 24 अप्रैल 1993

↳ पंचायती राज दिवस (2010 से) अनु० - 243 - 243(O)

राष्ट्रीय मतदाता दिवस- 25 जनवरी (ECI का गठन)

74 वां संविधान संशोधन → नगरपालिकाओं का गठन

'12 वी अनुसूची' PM- PV नरसिम्हा राव

↳ 18 विषय

भाग- 9(A) अनु० - 243(P) - 243 ZG

अनुच्छेद 243 : परिभाषा

ग्राम सभा का अर्थ है ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र मे शामिल गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से बनी एक संस्था।

अनुच्छेद 243(A) : ग्राम सभा

एक ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और ग्राम स्तर पर ऐसे कार्य कर सकती है जो राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा प्रदान कर सकता है।

अनुच्छेद 243(B): पंचायतो का गठन

इस भाग के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक राज्य मे ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतो का गठन किया जायेगा।

जिला पंचायत > पंचायत समिति > ग्राम पंचायत

PARMAR SSC

◎ अगर जनसंख्या 20 लाख से कम है - 2 स्तरीय
↓
पंचायत समिति ×

अनुच्छेद 243(C): पंचायती की संरचना

1. पंचायत की सभी सीटें प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गये व्यक्तियों से भरी जायेगी।
2. ग्राम स्तर पर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाये गये कानून द्वारा किया जायेगा।

अनुच्छेद 243(D): सीटों का आरक्षण

1. सीटें इनके लिये आरक्षित होगी-
   1. अनुसूचित जाति
   2. प्रत्येक पंचायत में ST को उस पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या के अनुपात में रखा जाता है।
2. प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल सं० में कम-से-कम 1/3 (SC+ST महिला सहित) सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी।
3. गांव / किसी अन्य स्तर पर पंचायती में अध्यक्षों के पद SC, ST & महिलाओं के लिये राज्य विधानमंडल कानून द्वारा आरक्षित किये जायेगें।

अनुच्छेद 243(E): पंचायतो की अवधि।

1. पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से 5 साल तक
2. किसी पंचायत की अवधि समाप्त होने से पहले उसके विघटन पर गठित पंचायत केवल उस शेष अवधि के लिए जारी रहेगी, जिसके लिए विघटित पंचायत जारी रहेगी।

→ विघटित करने की शक्ति- जिला परिषद
└→ राज्य सरकार

अनुच्छेद 243-F : सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ

अयोग्यताएँ :

1(A): व्यक्ति संबंधित राज्य के विधानमण्डल के चुनावी के प्रयोजनों के लिए उस समय लागू किसी कानून द्वारा या उसके तहत अयोग्य घोषित किया गया है : बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जायेगा कि वह 25 वर्ष से कम उम्र का है, यदि वह 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है।

1(b): यदि वह राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाये गये किसी कानून के तहत या उसके तहत अयोग्य है।

→ राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्धारित की गई ऑथोरिटी द्वारा अयोग्यताये निर्धारित की जायेगी।

अनुच्छेद 243-G: पंचायतो की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व

राज्य विधानमण्डल ⟶ पंचायतो की शक्तियाँ

↓

स्वशासन की संस्थाओ के रूप मे कार्य करने मे सक्षम बनाने के लिए आवश्यक

अनुच्छेद 243-H: पंचायतो द्वारा और उनकी निधियो पर कर लगाने की शक्तियाँ

अनुच्छेद 243-I : वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु वित्त आयोग का गठन

राज्यपाल ⟶ वित्त आयोग का गठन

73 वां संविधान संशोधन
1992

1 वर्ष के भीतर (हर 5 वें वर्ष की समाप्ति पर)

अनुच्छेद 243-J : पंचायतो के खातों की लेखापरीक्षा

अनुच्छेद 243-K : पंचायतो के चुनाव → राज्य चुनाव आयोग
नियुक्ति- राज्यपाल

PARMAR SSC

पद से हटाना- HC के जज की भाँति
↳ (अयोग्यता & कदाचार)

अनुच्छेद 243-L : केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए आवेदन।

अनुच्छेद 243.M : भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू न होना।

PESA 1996 → Panchayat extension to scheduled areas
पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार)

अनुच्छेद 243 N : मौजूदा कानून और पंचायतों का जारी रहना।

अनुच्छेद 243 O : चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक।

नागालैण्ड, मेघालय, मिजोरम → पंचायती राज (×)
दिल्ली को छोड़कर बाकी सभी UTs में पंचायती राज मौजूद।

नगरपालिकाएँ

भाग- 9(A)
अनु०: 243 P- 243 ZG
74 वां संविधान संशोधन

मेयो संकल्प 1870 - वित्तीय विकेन्द्रीकरण

रिपन संकल्प 1882 - स्थानीय स्वशासन का मैग्नाकार्टा
↳ स्थानीय स्वशासन के पिता

स्थानीय स्वशासन- भारत शासन अधिनियम 1935 → प्रांतीय विषय

शहरी स्थानीय शासन - ⑧

नगर निगम, नगरपालिका (MoHUA), अधिसूचित क्षेत्र समिति, टाउन एरिया समिति
छावनी बोर्ड (Mo defence), टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट & विशेष उद्देश्य एजेंसी (MoHA)।

PARMAR SSC